

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 34 / 2025

दायर दिनांक : 03 / 06 / 2025

निर्णय दिनांक : 18 / 06 / 2025

**उनवान**

1. खेमराज पिता नोला तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. नारायण पुत्र नोला तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. माधवलाल पुत्र नोला तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. लेहरीलाल पुत्र नोला तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
5. हरिराम पुत्र नोला तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. मोडा पिता टेका गुर्जर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. गोपाल पिता छोगा गुर्जर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. किशन पिता छोगा गुर्जर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. कैलाश पिता बालू जाट निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। भू.अ.निरीक्षक कांकरवा को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम कांकरवा के खाता सं. 832 की आ.सं. 2489 रकबा 0.41 है।** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर